

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)

**अधिसूचना सं. 1/2017-** माल और सेवा कर प्रतिकर

नई दिल्ली, तारीख 28 जून, 2017  
7 आषाढ़, शक 1939

**सा.का.नि.** (अ). केंद्रीय सरकार, माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, 2017 (2017 का 15) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1 जुलाई, 2017 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के सभी उपबंध प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. एस-31011/28/2016-एसटी-I-डीओआर]

(महेन्द्र नाथ)  
अवर सचिव, भारत सरकार